न्यायालय तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां(तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 5/2022

सरकार बनाम बसेसर, शीशराम, भागीरथ पुत्र लालचन्द
जाति–जाट, निवासी– स्यालू खुर्द

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 18.02.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बसेसर उपस्थित, शेष गैर सायलान बावाजूद सूचना उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान बसेसर, शिशराम, भागीरथ जाति–जाट, निवासी– स्यालू खुर्द द्वारा रोही मौजा स्यालू खुर्द की राजकीय भूमि ख.नं. 37 कुल रकबा 0.50 है0 किस्म गै.मु. मरघट में से रकबा 0.30 है0 भूमि पर पक्का मकान व तारबंदी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान शीशराम, भागीरथ बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। गैर सायल बसेसर ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें अपना कब्जा पुराना बताया है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया तथा गै.मु मरघट की भूमि में अपना अतिक्रमण होना अस्वीकार किया है। गैर सायलान का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 113 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं........33.......पर
वर्ष2021-22.....में रुपये.113/... कायम कि
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़